



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65076

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
577/2026

आकिब एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: स्वयमानंद सिसोदिया

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 16.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था: -
"1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री स्वयमानंद सिसोदिया, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और श्री चंद्र शेखर सरन, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 265/2025, धारा 193(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 117(2), 125 बी.एन.एस., थाना दौराला, जनपद मेरठ में इस प्रार्थना के साथ अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें आशंका है कि उन्हें उपर्युक्त मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी तर्क दिया गया कि सह-अभियुक्त अमित को पहले ही इस न्यायालय द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8050/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह तर्क दिया गया है कि किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और 03 घायलों की सभी चोटें साधारण प्रकृति की हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकगण का आपराधिक इतिहास है, जिसे पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जब भी विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता होगी, वे उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण ने अपने संपूर्ण आपराधिक इतिहास को स्पष्ट नहीं किया है।
6. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
7. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों पर विचार करते हुए और गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकगण- अकिब और आमिर खान को 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर **27.03.2026** तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगी: -
 - (i) आवेदकगण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
 - (ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - (iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और अंतरिम अग्रिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
 - (iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
8. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष यहाँ आवेदकगण को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. इस मामले को दिनांक 27.03.2026 को फ्रेश के रूप में सूचीबद्ध करें।
10. इस बीच, आवेदकगण को संपूर्ण आपराधिक इतिहास को रिकॉर्ड पर लाते हुए पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"

3. आज, जब मामला पुकारा गया, तो आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 18.03.2026 के पूरक शपथ पत्र पर भरोसा करते हैं और तर्क देते हैं कि आवेदक संख्या 1 का तीन मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह मुकदमा अपराध संख्या 363/2023 धारा 147, 148, 323, 341, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता, थाना दौराला, जनपद मेरठ में जमानत पर है। आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध अन्य मामला, जो मुकदमा अपराध संख्या 110/2025 धारा 115(2), 131, 352 बी.एन.एस., थाना दौराला, जनपद मेरठ है, आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के तहत नोटिस दिया गया है, और वह अभी तक उक्त मामले में वांछित नहीं है। मुकदमा अपराध संख्या 358/2025, थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ के लिए, आवेदक का तर्क है कि वह प्रथम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था और आज तक उक्त मामले में उसके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। आवेदक संख्या 2 के लिए, उनका तर्क है कि उन्हें थाना दौराला, जनपद मेरठ के मुकदमा अपराध संख्या 363/2023 में झूठा फंसाया गया था, जिसमें वह जमानत पर है और थाना दौराला, जनपद मेरठ में मुकदमा अपराध संख्या 110/2025 में आवेदक को धारा 41-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस तामील किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदकगण के विरुद्ध दिखाए गए सभी मामलों में सात वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय अपराध शामिल नहीं है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने उन दलीलों को दोहराया है, जैसा कि दिनांक 16.02.2026 के आदेश में दर्ज किया गया है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन पूरक शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्ट किए गए आपराधिक पूर्ववृत्त पर विवाद नहीं कर सके।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा एन.ए. जमानत संख्या 8050/2025 में दिनांक 07.10.2025 को पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है, मैं आवेदकगण को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. मुकदमा अपराध संख्या 265/2025, धारा 193(2), 191(3), 115(2), 109(1), 352, 351(2), 117(2), 125 बी.एन.एस., 2023, थाना - दौराला, जनपद मेरठ में शामिल आवेदकगण- आकिब और आमिर खान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उन्हीं नियमों और शर्तों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो पूर्व आदेश दिनांक 16.02.2026 में निर्धारित की गई थीं।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"